संख्या-28/2019/692/46-1-19-1000(56)/2014

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 17 जून, 2019

विषय- कृषि विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत हाईक्वाल्टी शुगरकेन शीड प्रोडेक्शन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के लिए अवमुक्त धनराशि रु. 108.67 लाख व्यय/उपयोग की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-कै./94/रा.कृ.वि.योजना/विकास/18-19, दिनांक 30.05.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-559/12-3-2019-100(43)/2017टी.सी., दिनांक 29 मई, 2019 के द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के अनुक्रम में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा मुख्य सचिव, उ.प्र. की अध्यक्षता वाली एस.एल.एस.सी. द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष गन्ना विकास विभाग के हाईक्वाल्टी शुगरकेन शीड प्रोडेक्शन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि रु. 108.67 लाख की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-559/12-3-2019-100(43)/ 2017टी.सी., दिनांक 29 मई, 2019 के माध्यम से अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि के सापेक्ष इस पत्र के संलग्नक में दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट/कार्ययोजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में गन्ना विकास विभाग के शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम के भौतिक कार्यो हेतु कुल धनराशि रू. 1,08,66,218 (रुपये एक करोड़ आठ लाख छयाछठ हजार दो सौ अट्ठारह मात्र) निम्नलिखित शर्तो के अधीन, उपयोग/व्यय किये जाने की एतद्द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति /अनुमति प्रदान की जाती हैः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के उक्त शासनादेश संख्या-559/12-3-2019-100(43)/2017टी.सी., दिनांक 29 मई, 2019 में दिये गये शर्तो/प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाएं/ उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(2) गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2077सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-2331सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या-1492 सी.डी./46-3-23-1000(72)/2012 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तो (गाइड लाईन्स) के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी।

(3) गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमों को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2019-20 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाय तथा सम्पन्न कार्यक्रमों की समुचित पुष्टि कराते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/ दृविरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं अपर गन्ना आयुक्त (विकास) का होगा।

(4) प्रस्तर-2 में वर्ष 2018-19 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाय। तदनुसार उपयोग की गयी धनराशि का कार्यक्रमवार/जिलावार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कृषि एवं अन्य विभागों के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/नियमो एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

भवदीय,

(कमल किशेर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-28/2019/692(।)46-1-19-1000(56)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ.प्र. शासन।

2- अपर गन्ना आयुक्त(विकास)/वित्त नियन्त्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ.प्र.।

3- निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ।

4- निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर।

5- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ.प्र.।

6- समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ.प्र.।

7- विशेष सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।

8- समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी **(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**

9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र. **(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**

10- नोडल अधिकारी(आर.के.वी.वाई.), उ.प्र. कृषि भवन लखनऊ।

11- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2

12- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

((सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-28/2019/692/46-1-19-1000(56)/2014 लखनऊ : दिनांक 17 जून, 2019 का संलग्नक

¼धनराशि रु. में½

क्र. सं.	जनपद	आधार पौधशाला			प्राथमिक पौधशला			कुल			
		अनुदान संख्या-11	अनुदान संख्या-83	अनुदान संख्या-81	अनुदान संख्या-11	अनुदान संख्या-83	अनुदान संख्या-81	अनुदान संख्या-11	अनुदान संख्या-83	अनुदान संख्या-81	योग कुल
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**9**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	गाजियाबाद	170250	0	0	116080	0	0	286330	0	0	286330
2	बुलन्दशहर	82900	20700	0	0	237950	0	82900	258650	0	341550
3	बरेली	273950	0	0	1340675	0	0	1614625	0	0	1614625
4	बदायू	113000	53200	0	0	0	0	113000	53200	0	166200
5	पीलीभीत	254650	100000	0	116650	200000	0	371300	300000	0	671300
6	शहजहॉपुर	0	0	0	150000	0	0	150000	0	0	150000
7	अलीगढ़	160000	9450	0	112275	70000	0	272275	79450	0	351725
8	सीतापुर	289600	54150	0	3262750	12250	0	3552350	66400	0	3618750
9	गोरखपुर	33200	7100	0	54225	10300	0	87425	17400	0	104825
10	शामली	200325	0	0	**957820**	400115	0	**1158145**	400115	0	**1558260**
11	हरदोई	41850	0	0	0	0	0	41850	0	0	41850
12	बलरामपुर	719100	10550	4000	1063700	106953	56500	1782800	117503	60500	1960803
योगः&		**2338825**	**255150**	**4000**	**7174175**	**1037568**	**56500**	**9513000**	**1292718**	**60500**	**10866218**

(रुपये एक करोड़ आठ लाख छयाछठ हजार दो सौ अट्ठारह मात्र)

नोटः-जनपद शामली को आवंटित धनराशि जिला गन्ना अधिकारी गाजियाबाद द्वारा आहरित कर जनपद शामली को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।